

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(3) अ/सा.सू./61-11/आ.कृ./1076-79

दिनांक : 29/09/2021

सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ.7(08)भर्ती/स.सां.अ./2016-17/1646 दिनांक 21.09.2021 द्वारा वर्ष 2018-19 की रिक्तियों के विरुद्ध स्पष्टतः चयनित 01 अभ्यर्थी का नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु अभिस्तावित किया गया है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों में वर्णित योग्यताओं इत्यादि की जांच एवं मूल दस्तावेजों के सत्यापन आदि हेतु इनको दिनांक 04.10.2021 को प्रातः 11.00 बजे कमरा नम्बर 203, प्रथम तल, पंत कृषि भवन, जयपुर में उपस्थित होना है :-

MERIT NO	RNO	NAME OF CANDIDATE	CTG	SELECT AGAINST CTG	ADDRESS
07	124100	ABHISHEK GAUTTAM	GE	GENM	प्लॉट सं0 26, ब्रह्मपुरी रेल्वे कॉलोनी, सवाई माधोपुर-322001 मो0नं0 8560828258

दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है। निर्धारित दिनांक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद की योग्यता रखने पर, नियुक्ति आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। उक्त अभ्यर्थी दस्तावेजों के मूल एवं स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित छाया प्रतियों के साथ उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थिति होंगे।


सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जावेगी - "These appointments are subject to the decision of S.B.Civil Writ Petition No. 7971/2021."

दस्तावेजों की सूची :-

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु मूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु-सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) के स्तर से हो, महिला अभ्यर्थी के संबंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. वर्ग सत्यापन हेतु- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (टी.एस.पी.) अनुसूचित जनजाति (टी.एस.पी.) पिछड़ी जाति, विशेष पिछड़ी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
7. पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
8. अविवाहित (पुरुष एवं महिला) की स्थिति में स्व-हस्ताक्षरित घोषणा।
9. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दिनांक 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2006 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
10. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा।

Amal

11. आपराधिक/सजायाफ़्ता नहीं होने/तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
12. दहेज नहीं लेने/नहीं लिया संबंधी स्व-हस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
13. राजस्थान सेवा नियम पार्ट-11 के परिशिष्ट-18 (ख) के अनुसार स्व-हस्ताक्षरित बंध-पत्र, जो लगभग एक लाख से कम का नहीं हो।
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम/उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम/उपनाम जन्मतिथि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता (Candidature) निरस्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।


  
 (बी.एल. कुमावत)  
 सहायक निदेशक, कृषि (प्रशासन)

दिनांक : 29/09/2021

क्रमांक प2(3) अ/सा.सू./61-11/आ.कृ./1076-79

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. ए.सीपी. कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित है।
2. संबंधित श्री अभिषेक गौतम, प्लॉट सं0 26, ब्रह्मपुरी रेल्वे कॉलोनी, सवाई माधोपुर-322001
3. निजी /आरक्षी पत्रावली।

  
 (बी.एल. कुमावत)  
 सहायक निदेशक, कृषि (प्रशासन)